न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 238/2023

GCMS NO. : 2023/00582

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. शिवप्रकाश कालानी पुत्र गंगाविशन कालानी 2. देवांशु कालानी पुत्र शिवप्रकाश कालानी, जातियान– महेश्वरी, निवीसगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर		1. राजेशचन्द पुत्र मांगीलाल 2. चम्पादेवी पत्नी भागीरथ सोनी, 3. भागीरथ सोनी पुत्र मांगीलाल जातियान–सोनी, निवासीगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर 4. अभिषेक कालानी पुत्र शिवप्रकाश कालानी 5. सरोज कालानी पत्नी शिवप्रकाश कालानी, जातियान–महेश्वरी, निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर। 6. प्रकाश सोलंकी पुत्र लाबुराम 7. लीला सोलंकी पत्नी प्रकाश सोलंकी, जातियान–घांची, निवासीगण–जैतारण, तह.जैतारण 8. अमृता पुत्री रमेशचन्द जाति–महेश्वरी, निवासी–बिलाड़ा तह.–बिलाड़ा(जोधपुर) 9. सम्यक क्रियेशन्स ब्यावर पदमचन्द बिनायकिया पुत्र प्रकाशचन्द बिनायकिया, जाति–जैन, उम्र–40 साल, निवासी–ब्यावर, जिला–ब्यावर 10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, जिला–ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (ब्यावर)

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11/12/2023**

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, समीर खान अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 24/07/2024**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ठाकरवास, पटवार हल्का–बिरोल, भू.–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 292/1 रकबा 10.4652 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हई है। जिसमें वादीगण संख्या 01 का 107/1293 वां हिस्सा व वादीगण संख्या 02 का 100/1293 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर पक्षकारान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड सामलाती दर्ज है। जिसमें वादीगण अपने 107/1293, 100/1293 वे हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर वादीगण वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार मार्क एक्स स्थान के भू–भाग पर वादीगण संख्या 01 काबिज है तथा मार्क वाई स्थान पर वादीगण संख्या 02 काबिज है एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 जो कि नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए स्थान पर काबिज है और शेष प्रतिवादीगण जो नजरी नक्शे में बताई गई जमीन पर काबिज है शेष प्रतिवादीगण की संयुक्त जमीन जो नजरी नक्शे में दर्शाई गई है इस प्रकार इस नजरी नक्शे के अनुसार सभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नजरी नक्शे को वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा जिसमें पश्चिम दिशा में जो रास्ता है उस तरफ वादीगण संख्या 01 शिवप्रकाश का हिस्सा है जो चालीस फिट रोड पर है। जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति जिसका पक्षकारान अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर काश्त रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि सामलाती दर्ज होने से तथा कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसमें वादीगण अपने हक की भूमि को समतल बनाने, खाद बीज डालने, बैंक से ऋण लेने भूमि का भू–रूपान्तरण करवाने आदि में अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के पास उक्त आराजी में अपने हक हिस्से का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादीगण की ओर से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पेश है। वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार एवं नजरी नक्शे में बताए

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नाई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

अनुसार कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने बाबत् दिनांक 23.11.2023 को आग्रह किया जिस पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं उल्टा वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करेंगे एवं बिना कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाए ही अजनबी व्यक्ति को बेचान कर मौके पर कब्जा करेंगे यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मसुंदों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है तथा वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिए महरुम हो जाएगा। इसलिए वादीगण के पास में अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के वादपत्र का आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनाँक 23.11.2023 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से एवं नजरी नक्शे में बताए अनुसार कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने व वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाए ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र-जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर, राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। इकबालिया जवाबदावा एवं काउंटर वाद पेश किया जो शामिल मिसल है। इकबालिया जवाबदावा पेश कर वाद में वर्णित पद संख्या 1,2 व 3 को स्वीकार किया है एवं वादीगण का बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति ऐतराज नहीं है। नजरी नक्शे के अनुसार सभी पक्षकारान् काबिज हैं। इसलिए नजरी नक्शे अनुसार विभाजन कर दिया जावे। काउंटर वाद पेश कर कथन किया कि सरहद मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र -जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राज. मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 292/1 रकबा 10.4652 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसमें प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर पक्षकारान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति जिसका पक्षकारान अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

सामलाती दर्ज होने से तथा कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नहीं होने से वादीगण को अनेकों प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, खाद बीज डालने, बैंक से ऋण लेने भूमि का भू-रुपान्तरण करवाने आदि में अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पास उक्त आराजी से अपने हक-हिस्से का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादीगण तथा प्रतिवादीगण की ओर से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी मे अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने बाबत् दिनांक 05/05/2024 को आग्रह किया जिस पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं उल्टा वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करेंगे एवं बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही अजनबी व्यक्ति को बेचान कर मौके पर कब्जा करेंगे यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है तथा वादीगण अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह काउन्टर वादपत्र बाबत् बंटवाड़े का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के काउन्टर वादपत्र आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दिनांक वाद 05/05/2024 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डसृ के बंटवाडा करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने व वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम ठाकरवास, पटवार हल्का बिरोल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह काउन्टर वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। बहस दौरान उभयपक्ष अधिवक्ता माफिक राजस्व रेकर्ड वादपत्र डिक्री किए जाने की इस्तदुआं की।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन कर प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया [illegible] उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा ठाकरवास, पटवार हल्का -बिरोल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर, राजस्थान के खसरा नम्बर 292/1 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने-अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 292/1 रकबा 10.4652 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ठाकरवास, पटवार हल्का –बिरोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 292/1 रकबा 10.4652 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि ''जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि हैं'', का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/718 दिनाँक 24/06/2024 द्वारा आदेशित किया गया था। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3954 दिनांक 05.07.2024 द्वारा राजस्व वाद संख्या 238/2023 में माफिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2024 के क्रम में मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल के खसरा नम्बर 292/1 कुल रकबा 10.4652 हैक्टेयर भूमि का माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार की जाकर मौके पर काबिज भूमि को नजरी नक्शे में दर्शाते हुए प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जो सा0मि0 की गई।

माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत क्रमांक/भू0अ0/24/3954 दिनाँक 05/07/2024 अंतिम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वाके आराजी सरहद मौजा– चक ठाकरवास, हल्का–बिरोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र –जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा 292/1 रकबा 10.4652 हैक्टेयर भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	शिवप्रकाश कालानी पुत्र गंगाविशन कौम–[illegible] महेश्वरी, साकिन–जैतारण	[illegible]	0.8660	बा.अ.	3.31
2	देवान्शु कालानी पुत्र [illegible] कौम–माहेश्वरी, साकिन–जैतारण	292/22	0.8094	बा.अ.	3.10
3	सम्यक क्रियेशन्स ब्यावर पदमचन्द बिनायकिया पुत्र प्रकाशचन्द बिनायका कौम जैन सा. ब्यावर	292/24	2.0930	बा.अ.	8.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

4	अभिषेक कालानी पुत्र शिवप्रकाश कौम-माहेश्वरी 8094/66968 सा.जैतारण, अमृता पुत्री रमेशचन्द 8094/66968 कौम महेश्वरी सा. बिलाड़ा, चम्पादेवी पत्नी भागीरथ 9502/66968 कौम सोनी, प्रकाश सोलंकी पुत्र लाबूराम 16187/66968 कौम घांची, भागीरथ सोनी पुत्र मांगीलाल 4047/66968, राजेशचन्द पुत्र मांगीलाल 8094/66968 कौम सोनी, लीला सोलंकी पत्नी प्रकाश 4047/66968 कौम घांची, सरोज कालानी पत्नी शिवप्रकाश कालानी 8903/66968 कौम माहेश्वरी, निवासी-जैतारण, खातेदार	292/23	6.6968	बा.अ.	25.66

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार में जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 24/07/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण**

बईजलास :– **श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. शिवप्रकाश कालानी पुत्र गंगाविशन कालानी 2. देवांशु कालानी पुत्र शिवप्रकाश कालानी, जातियान– महेश्वरी, निवीसगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर		1. राजेशचन्द पुत्र मांगीलाल 2. चम्पादेवी पत्नी भागीरथ सोनी, 3. भागीरथ सोनी पुत्र मांगीलाल जातियान–सोनी, निवासीगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर 4. अभिषेक कालानी पुत्र शिवप्रकाश कालानी 5. सरोज कालानी पत्नी शिवप्रकाश कालानी, जातियान–महेश्वरी, निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर। 6. प्रकाश सोलंकी पुत्र लाबुराम 7. लीला सोलंकी पत्नी प्रकाश सोलंकी, जातियान–घांची, निवासीगण–जैतारण, तह.जैतारण 8. अमृता पुत्री रमेशचन्द जाति–महेश्वरी, निवासी–बिलाड़ा तह.–बिलाड़ा(जोधपुर) 9. सम्यक क्रियेशन्स ब्यावर पदमचन्द बिनायकिया पुत्र प्रकाशचन्द बिनायकिया, जाति–जैन, उम्र–40 साल, निवासी–ब्यावर, जिला–ब्यावर 10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, जिला–ब्यावर

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 238/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी अधि[illegible] मिनजानिब मुद्दई व श्री अरूणसिंह राठौड़, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश [illegible]कर [illegible]म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रति[illegible]गण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ठाकरवास, पटवार हल्का बिरोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 292/1, रकबा 10.4652 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	शिवप्रकाश कालानी पुत्र गंगाविशन कौम–महेश्वरी, साकिन–जैतारण	292/1	0.8660	बा.अ.	3.31
2	देवान्शु कालानी पुत्र शिवप्रकाश कौम–माहेश्वरी, साकिन–जैतारण	292/22	0.8094	बा.अ.	3.10
3	सम्यक क्रियेशन्स ब्यावर पदमचन्द बिनायकिया पुत्र प्रकाशचन्द बिनायका कौम जैन सा. ब्यावर	292/24	2.0930	बा.अ.	8.01
4	अभिषेक कालानी पुत्र शिवप्रकाश कौम–माहेश्वरी 8094/66968 सा.जैतारण, अमृता पुत्री रमेशचन्द 8094/66968 कौम महेश्वरी सा. बिलाड़ा, चम्पादेवी पत्नी भागीरथ 9502/66968 कौम सोनी, प्रकाश सोलंकी पुत्र लाबूराम 16187/66968 कौम घांची, भागीरथ सोनी पुत्र मांगीलाल 4047/66968, राजेशचन्द पुत्र मांगीलाल 8094/66968 कौम सोनी, लीला सोलंकी पत्नी प्रकाश 4047/66968 कौम घांची, सरोज कालानी पत्नी शिवप्रकाश कालानी 8903/66968 कौम माहेश्वरी, निवासी–जैतारण, खातेदार	292/23	6.6968	बा.अ.	25.66

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना रिपोर्ट की तहरीर जारी हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/07/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	04–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	तहरीर	
मिजान:–	07–00	मिजान:–	04–00

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested